

समाज कल्याण योजनाएं

455. श्री मनोज कोटक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में चल रही समाज कल्याण योजनाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;
- (ख) क्या आर्थिक रूप से गरीब लोगों हेतु विशेषकर गरीब तबके की महिलाओं हेतु कोई विशेष योजनाएं हैं; और
- (ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का इनके लिए किए गए आबंटन सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और प्रत्येक योजना में वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

मंत्रालय की योजनाएं महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं। यद्यपि कुछ योजनाओं में निधियों का प्रतिशत अथवा सीटों की संख्या महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं, कुछ महिला विशिष्ट पहलें निम्नानुसार हैं :-

- (i) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन निगमों की महिला किसान योजना, महिला समृद्धि योजना, न्यू स्वर्णिम योजना और महिला अधिकारिता योजना नामक योजनाएं हैं।
- (ii) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक गृहों की योजना के अंतर्गत 50 वरिष्ठ नागरिक महिलाओं का एक घटक है।

दिनांक 25.06.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 455 के भाग (क से ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और प्रत्येक योजना में आवंटित निधि का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :-

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	वर्ष 2019-20 के लिए किया गया आवंटन (करोड़ रुपए में)
अनुसूचित जाति (एससी) के लिए योजनाएं		
1.	एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	355.00
2.	एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2926.82
3.	एससी और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए निःशुल्क कोचिंग	30.00
4.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	180.00
5.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढीकरण	490.00
6.	बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	15.00
7.	बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	92.76
8.	एससी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	50.00
9.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.00
10.	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1300.00
11.	एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	260.00
12.	स्केवेंजर्स की मुक्ति एवं पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	30.00
13.	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	20.00
14.	एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.50
15.	अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता	30.00
16.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	100.00
17.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	35.00

18.	एससी के लिए उद्यम पूंजी निधि	60.00
19.	एससी के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना	0.01
पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए योजनाएं		
20.	ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	120.00
21.	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	909.10
22.	ओबीसी बालक एवं बालिका के लिए छात्रावास का निर्माण	30.00
23.	ओबीसी/ईबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना	10.00
24.	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के कौशल विकास हेतु सहायता	30.00
25.	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	30.00
26.	ईबीसी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	23.00
27.	विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) (मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति+मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति+नानाजी देशमुख छात्रावास) के विकास हेतु योजना	10.00
28.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	80.00
वरिष्ठ नागरिक और मद्यपान एवं नशीली दवा दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजनाएं		
29.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	105.00
30.	मद्यपान एवं नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना	35.00
दिव्यांगजनों के लिए योजना		
31.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना	230.00
32.	दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति	125.00
